

मुकदमा अपराध सख्या-02/2022 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018) व धारा-120बी भा0द0वि0

बनाम कमलेश्वर प्रसाद थपलियाल

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब-डिस्ट्रिक्ट-देहरादून

संख्या-01/2022

घटना का दिनांक - 28.02.2022

समय 19:02 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
28-02-2022 04.10	सेंट जोसेफ तिराहे से दिलाराम तिराहे की तरफ राजपुर रोड़ होटल बूलेवयो के सामने सचिवालय गेट के पास, देहरादून दिशा उत्तर दूरी करीब 12 कि0मीटर	द्वारा विशेक वाहक

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक श्री मनोज रावत, सतर्कता सैक्टर देहरादून।	श्री कमलेश्वर प्रसाद थपलियाल निवासी निकट भानियावाला तिराहा भानियावाला हरिद्वार रोड़ देहरादून हाल-सी-7 ऑफिसर कालोनी, रेसकोर्स देहरादून हाल तैनाती समीक्षा अधिकारी सिंचाई विभाग, अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून आदि।	आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता श्री महेश चन्द्र अग्रवाल से उसके रिटायरमेंट के उपरान्त विभागीय देयकों को देने की एवज में 80000/- रूपये की मांग करना तथा 75000/- रूपये उत्कोच ग्रहण करते गिरफ्तार होना। जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) व 120बी भा0द0वि0।	सूचना पर तत्काल अभियोग तफतीशी कायम व दर्ज किया गया, तफतीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर देहरादून के निरी0 श्री पवन कुमार सतर्कता सैक्टर द्वारा की जायेगी।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

Suptt. of Police
VigilanceEstt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मुकदमा अपराध संख्या 03/2022, धारा-7(इ)भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम राजकुमार पुत्र स्व0

श्री मंशाराम राजस्व निरीक्षक झबरेडा क्षेत्र तहसील रूडकी हरिद्वारा

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट- देहरादून

संख्या-02/2022

घटना का दिनांक - 08.04.2022

समय- 11:44 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 08.04.2022 समय 21:15 बजे	आरोपी राजस्व निरीक्षक का कार्यालय तहसील रूडकी, दिशा जानिव दक्षिण थाने से दूरी लगभग 95 कि0मी0	द्वारा विशोक वाहक

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
श्रीमती नूतन पंवार निरीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून।	श्री राजकुमार पुत्र स्व0 श्री मंशाराम, निवासी- ग्राम प्रतीतपुर पो0ओ0- धर्मावाला थाना-सहसपुर जनपद -देहरादून हाल- राजस्व निरीक्षक क्षेत्र झबरेडा तहसील रूडकी जनपद हरिद्वारा।	आरोपी द्वारा शि0कर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में पारितोषिक की मांग करना तथा रूपये 15000/- रूपये रिश्वत ग्रहण करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7(इ)डी सपठित धारा 13(2)भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018)	सूचना पर तत्काल अभियोग तफ्तीशी कायम व दर्ज किया गया, तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर देहरादून के निरी0 श्रीमतीविभावर्मा द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

Suptt. of Police
VigilenceEstt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मुकदमा अपराध सख्या-04/2022 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम सन्दीप कुमार शर्मा
मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब-डिस्ट्रिक्ट-देहरादून

संख्या-03/2022

घटना का दिनांक - 6.04.2022

समय 12:45 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
16.04.2022 21:50 बजे	आरोपी एस0डी0ओ0 का कार्यालय विद्युत वितरण उपखण्ड जगजीतपुर हरिद्वार दिशा जानिव दक्षिण स्टेशन (थाने) से दूरी लगभग 60 कि0मी0।	द्वारा विशेष वाहक

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक श्री पवन कुमार, सतर्कता सैक्टर देहरादून।	श्री सन्दीप कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेमदत्त शर्मा, नि0-26डी0वी0सी0 कालोनी मालसी देहरादून हाल-एस0डी0ओ0 विद्युत वितरण उपखण्ड जगजीतपुर हरिद्वार।	आरोपी श्री सन्दीप कुमार शर्मा द्वारा सरकारी कार्य करने की एवज में शिकायतकर्ता श्री महेश कुमार से रू0 20,000/- रिश्तत ग्रहण करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	सूचना पर तत्काल तफ्तीशी कायम व दर्ज किया गया, तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर देहरादून के निरी0 श्री गणेश सिंह कुटियाल सतर्कता मु0, द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

Suptt. of Police
VigilanceEstt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून
सब डिस्ट्रिक्ट— देहरादून
संख्या—05/2022

घटना का दिनांक व समय-10/05/2022

समय— 12.30 बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
10/05/2022 19.05	सैनीपुरम कालोनी तिराहा मेन रोड हरिद्वार, रुड़की जनपद हरिद्वार दिशा जानिब दक्षिण थाने से दूरी करीब 100 किलोमीटर	द्वारा विशेष वाहक

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक श्री गणेश सिंह कुटियाल, सतर्कता मुख्यालय देहरादून जनपद देहरादून	श्री नरेश कुमार सैनी S/O स्व0 श्री बाबू राम निवासी-सैनीपुरम कालोनी, शेरपुर हरिद्वार रोड, रुड़की जनपद हरिद्वार, हाल-राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र अहमदपुर ग्रन्ट बोड़ाहेड़ी तहसील हरिद्वार जनपद हरिद्वार	आरोपी श्री नरेश कुमार सैनी द्वारा सरकारी कार्य करने के एवज में शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कुमार से 4000/- रुपये रिश्वत ग्रहण करते हुए गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7-भ्र अधिनियम0नि0)1988संशोधित अधि 0 (2018	सूचना पर तत्काल मुकदमा तफतीशी कायम व दर्ज किया गया। तफतीश आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक सर्त0 सैक्टर देहरादून महोदय के निरी0 श्री सत्य प्रकाश शर्मा (सतर्कता मुख्यालय) द्वारा की जायेगी।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt. of Police
Vigilance Estt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मु0अ0सं0-07/2022 धारा-07 भ्र0नि0अधिनियम 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम श्री मोतीलाल राजस्व
निरीक्षक, तहसील डोईवाला देहरादून

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब-डिस्ट्रिक्ट-देहरादून

संख्या-06/2022

घटना का दिनांक - 08.06.2022

समय 12:05 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 08.04.2022 समय 18.45 बजे	आरोपी का कार्यालय कक्ष तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून दिशा जानिव-पूरब स्टेशन से दूरी लगभग-22 कि0मी0	द्वारा विशेष वाहक

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले
पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
श्रीमती विभा वर्मा निरी0 सतर्कता सैक्टर जनपद- देहरादून	श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री शिकलचंद नि0- न्यू शिव मार्केट शास्त्रीनगर ज्वालापुर हरिद्वार हाल- राजस्व निरीक्षक तहसील डोईवाला जनपद देहरादून।	आरोपी श्री मोतीलाल द्वारा शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध कार्य करने की एवज में रूपये 10,000/- उत्कोच धनराशि ग्रहण करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	सूचना पर तत्काल मुकदमा कायम व दर्ज किया गया, तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर दे0दून के निरी0 श्री गणेश सिंह कुटियाल सतर्कता मुख्यालय द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

Suptt. of Police
VigilenceEstt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मुकदमा अपराध संख्या 9/2022 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 (संशोधन)2018 बनाम राजेश कुमार

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून।
सब-डिस्ट्रिक्ट- देहरादून
संख्या-8/2022

घटना का दिनांक -29.10.2022
समय-20:50बजे

समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 29.10.2022 समय 23:55 बजे	रजिस्ट्रार कार्यालय कमर नं0 5 तहसील ज्वालापुर जनपद हरिद्वार दिशा दक्षिण दूरी करीब 68 कि0मी0	द्वारा विशेष वाहक

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
श्रीमती किरन असवाल, निरीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून	राजेश कुमार पुत्र स्व0 बलदेव राज, हाल रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील ज्वालापुर जनपद हरिद्वार निवासी म0नं0 140 गली नं0 02 अम्बेडकरनगर ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार।	आरोपी श्री राजेश कुमार द्वारा सरकारी कार्य करने के एवज में शिकायतकर्ता संजय सिंह से 2800/- रुपये रिश्वत ग्रहण करते हुये गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	सूचना पर तत्काल मुकदमा तफतीशी कायम व दर्ज किया गया तफतीशी आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून महोदय के निरी0 श्रीमती नूतन पंवार द्वारा की जायेगी।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

Suptt. of Police
VigilenceEstt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून

सब डिस्ट्रिक्ट— देहरादून

संख्या—10/2022

घटना का दिनांक व समय-01/12/2022

समय— 14.15 बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
01/12/2022 21.45	कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति रुड़की, जनपद हरिद्वार दिशा जानिब दक्षिण थाने से दूरी करीब 80 किलोमीटर	द्वारा विशेष वाहक

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास – स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
श्री तुषार बोरा, निरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान देहरादून	शिवमूर्ति सिंह S/o स्व0 श्री जय नारायण सिंह निवासी-ग्राम खपटिया थाना हडिंया त0 हडिंया जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हाल-म0न0 05 टाईप 2 मण्डि समिती कालोनी थाना ज्वालापुर हरिद्वार हाल तैनाती- मण्डी निरीक्षकड कृषि उत्पादन मण्डी समिति कार्यालय, रामपुर चुंगी रुड़की हरिद्वार।	आरोपी द्वारा सरकारी कार्य करने के एवज में शिकायतकर्ता श्री पंकज कुमार से 30,000/- रुपये रिश्वत ग्रहण करते हुए गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7- भ्र अधिनियम0नि0)1988संशोधित अधि 0 (2018	सूचना पर तत्काल मुकदमा तफ्तीशी कायम व दर्ज किया गया। तफ्तीश आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून महोदय के निरी0 श्रीमती किरन असवाल द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt. of Police
Vigilence Estt.
Dehradun Sector,
Uttarakhand

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

मुकदमा अपराध संख्या 01/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम लालदेव
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी
सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी
संख्या-01/2022
2022

घटना का दिनांक व समय- 11.05.

समय- 16:53

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 12.05.2022 समय 01:05 बजे	ग्राम बकैनिया स्थित विजयप्रकाश पाण्डेय का घर, थाने से दिशा दक्षिण पश्चिमखू थाने से दूरी लगभग 55 कि0मी0।	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी	लालदेव पुत्र श्री झगडूप्रसाद निवासी ग्राम आर्यनगर गुमत्या पो0ओ0 गदरपुर जनपद ऊधमसिंहनगर हाल लाईनमैन विद्युत विभाग उपखण्ड रूद्रपुर-द्वितीय खण्ड गदरपुर	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से उसके ट्यूबवेल का तार जोड़ने के एवज में आठ हजार रुपये की मांग करना तथा मौके पर उत्कोच ग्रहण करते हुये पकड़ा जाना। जुर्म धारा भ्र0नि0 अधि0 1988 (संशोधित 2018)।	वादी की तहरीर पर मुकदमा तफतीशी कायम किया गया। पु0अ0 महोदय के आदेशानुसार तफतीश निरी0 हेमा गुणवन्त द्वारा की जायेगी।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

मुकदमा अपराध संख्या 02/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम देवनाथ मिश्रा।
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी
सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी
संख्या-02/2022
2022

घटना का दिनांक व समय- 02.06.

समय- 11:40

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 02.06.2022 समय 19:05 बजे	नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी स्थित आरोपी का कक्ष, थाने से दिशा दक्षिण-पश्चिम, दूरी लगभग 65 कि0मी0	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक चंचल शर्मा सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी	देवनाथ मिश्रा पुत्र श्री शिवमूर्ती मिश्रा निवासी केशवपुरम निकट गोमती हाईट होटल, आई0आई0टी0 जनपद ऊधमसिंहनगर हाल प्रवर सहायक लिपिक नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी (ऊधमसिंहनगर)	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री शमशाद अहमद को उसके बिलों का भुगतान एवं पास करने के एवज में रिश्त की मांग करना तथा मौके पर 26,000/- रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा भ्र0नि0 अधि0 1988 (संशोधित 2018)।	वादी की तहरीर पर मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरी0 भानु प्रकाश आर्य द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

मुकदमा अपराध संख्या 03/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम दिनेश कुमार ।

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी

सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी

संख्या-03/2022

2022

घटना का दिनांक व समय- 15.06.

समय- 02:00

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 15.06.2022 समय 20:00 बजे	तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के कार्यालय में स्थित आरोपी के कार्यालय का कक्ष, थाने से दिशा पश्चिम दूरी 60 कि0मी0	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी	दिनेश कुमार पुत्र श्री खतेराम सिंह निवासी ग्राम बहोले वाला पो0 महुवा खेड़ा थाना आई0टी0आई0 जनपद ऊधमसिंहनगर हाल वैयक्तिक सहायक, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर नैनीताल	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता भूरेखा से किसानों के खेतों से लिये गये पेड़ों के कटान की अनुमति पर रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्त की मांग करना तथा मौके पर 12,000/- रुपये की उत्कोच ग्रहण करते हुए पकड़ा जाना जुर्म धारा भ्र0नि0 अधि0 1988 (संशोधित 2018)।	वादी की तहरीर पर मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। पु0अ0 महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरी0 हेम चन्द्र पाण्डेय द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

**मुकदमा अपराध संख्या 04/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम अशरफ अली
प्रथम सूचना की रिपोर्ट**

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी
सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी
संख्या-04/2022
2022

घटना का दिनांक व समय- 23.07.

समय- 14:05

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 23.07.2022 समय 20:15 बजे	ग्राम बिष्टी (पटिया) स्थित शिकायतकर्ता के घर का कमरा थाने से दिशा पूरब दक्षिण थाने से दूरी 64 किमी	डाक से

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक चंचल शर्मा सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी	अशरफ अली पुत्र शहादत अली निवासी ग्राम ककरोआ थाना शहजादनगर तहसील सदर रामपुर (उ0प्र0) हाल तैनाती सर्वे, कानूनगो, बन्दोबस्ती, तहसील सितारगंज जनपद ऊधमसिंहनगर	अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता श्री सुखदेव सिंह से उसकी जमीन का दाखिल खरिज करने के एवज में रिश्तत की मांग करना तथा मौके पर 9,000/- रू0 की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा भ्र0नि0 अधि0 1988 (संशोधित 2018)।	वादी की तहरीर पर मुकदमा तफतीशी कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफतीश निरी0 हेमा गुणवन्त द्वारा की जायेगी।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

मुकदमा अपराध सख्या-05/2022 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

बनाम बनवारीलाल
मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब-डिस्ट्रिक्ट- नैनीताल

संख्या-05/2022

घटना का दिनांक – 05-08-22

समय 12:40 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
05.08.2022 17: 20 बजे	तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्यालय, थाने से दिशा उत्तर तथा दूरी 2.5 किमि	डाक से

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक चंचल शर्मा, सतर्कता सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी।	बनवारीलाल पुत्र स्व0 ओमेखोलाल, निवासी- सिल्वर स्टेट कालोनी, पीलीभीत बाईपास रोड़, बरेली उ0प्र0, हाल- रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील हल्द्वानी जनपद- नैनीताल।	अभि0 द्वारा शिकायतकर्ता श्री जफर खान से उसकी जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग करना तथा मौके पर 10,000/- रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	वादी की तहरीर पर मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। पु0 अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरी0 विनोद यादव द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

बनाम आनन्द चन्द

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब-डिस्ट्रिक्ट- नैनीताल

संख्या-07/2022

घटना का दिनांक – 10-08-2022

समय 14:20 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
10/08/2022 19:36	घटना स्थल रुद्रपुर स्थित चकबंदी अधिकारी का कार्यालय थाने से दिशा-दक्षिण दूरी लगभग 32 कि0मी0	द्वारा विशेष वाहक

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक श्री चंचल शर्मा, सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी।	श्री आनंद चन्द उम्र 45 वर्ष स्व0 श्री वीजाराम नि0 ग्राम सुनारा पो0 नौगांव तहसील बडकोट थाना पुरोला जनपद उत्तरकाशी हाल निकट गंगा सोसायटी मण्डी बेडीया किच्छा जनपद उधमसिंहनगर हाल अनुसेवक प्रभारी पेशकार चकबंदी अधिकारी रुद्रपुर/किच्छा/UDN	अभि0 द्वारा शिकायतकर्ता नईम खान से उसकी जमीन की दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्तत की मांग करना तथा मौके पर 3000/- रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद को पहुंचता है।	दाखिला फर्द के आधार पर थाना हाजा में मुकदमा तफ्तीशी पंजीकृत किया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरी0 मनोहर सिंह दसौनी के सुपुर्द की गई।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

बनाम अब्दुल हबीब
मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब-डिस्ट्रिक्ट- नैनीताल

संख्या-08/2022

घटना का दिनांक – 28-09-2022

समय 17:10 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
29/09/2022 समय-00:20	घटना स्थल तहसील परिसर मोलेखाल स्थित भूलेख कम्प्यूटर कक्ष थाने से दूरी लगभग 108 किमी दिशा जानिब उत्तर पश्चिम	डाक से

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक चंचल शर्मा, सतर्कता सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी।	अभि0 अब्दुल हबीब s/o श्री अब्दुल हमीद निवासी- स्वामी विहार गौजाजाली बरेली रोड हल्द्वानी जनपद नैनीताल हाल निवासी तहसील सल्ट कार्यालय परिसर, मोलेखाल जनपद आयु 50 वर्ष तथा हाल तैनाती रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील सल्ट।	अभि0 द्वारा शिकायतकर्ता हिमांशु जोशी से जमीन की दाखिल खारिज कराने के एवज में रिश्त की मांग करना तथा मौके पर 10000/- रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद को पहुंचता है।	दाखिला फर्द के आधार पर थाना हाजा में मुकदमा तफतीशी पंजीकृत किया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफतीश निरी0 भानु प्रकाश आर्य के सुपुर्द की गई।	तफतीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड सतर्कता
अधिष्ठान, नैनीताल
सैक्टर, हल्द्वानी।

नोट सूचना देने वाले या हस्ताक्षर का निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।